



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

दूरभाष Telephone : 0612-2280756  
फैक्स Fax : 0612-2280265



बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (पू.क्षे.)  
Bihar Geo-spatial Data  
Centre (E.Z.)

164, शेखपुरा हाउस,  
(जे.डी. विमेंस कॉलेज के नजदीक), शेखपुरा  
पोस्ट-बी.बी. कॉलेज पटना-800014  
164, Sheikhpura House  
(Near J.D. Womens College), Shekhpura  
P.O.-B.V. College, Patna-800014.

सं० No 215 /37-G-8

दिनांक Date : 12-03-2015

कार्यालय आदेश संख्या 31 दिनांक : 12-03-2015

महासर्वेक्षक का कार्यालय के पत्रांक 456/1117-रूल्स दिनांक 09-02-2015 के निर्देशानुसार दिनांक 20-04-2015 को प्रातः 10:00 बजे बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, पटना के सम्मेलन कक्ष में प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन होना सुनिश्चित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पटना केन्द्र से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों/फैमली पेंशनरों से अनुरोध है कि जिनको पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वे इस पेंशन अदालत में पेंशन भुगतान आदेश एवं बैंक खाता विवरण सहित उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उक्त बैठक में उपस्थित होंगे :-

1. श्री राजेश कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक सह डीडीओ
2. प्रतिनिधि (क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता)
3. श्री बच्चू प्रसाद सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक
4. श्री जगन्नाथ राम, सहायक
5. श्री रामाश्रय दास, सहायक
6. श्री अभिमन्यु सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक

अध्यक्ष  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य



अपर महो/निदेशक  
उप निदेशक  
स्थापक निदेशक  
कार्यालय अधिकारी  
सहायक

(पी.वी. राजशंकर)  
निदेशक  
बिहार जीडीसी, पटना

प्रतिलिपि :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, नेशनल भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, (ध्यानकर्षण : वेबसाइट अनुभाग), देहरादून को ई-मेल से इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस पत्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वेबसाइट पर दर्शाने की कृपा करें।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता से अनुरोध है कि उक्त अदालत के बैठक में भाग लेने हेतु आप स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजने की कृपा करें।
5. श्री राजेश कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक सह आहरण एवं संवितरण अधिकारी/श्री बच्चू प्रसाद सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक/श्री जगन्नाथ राम, सहायक/श्री रामाश्रय दास, सहायक/श्री अभिमन्यु सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सूचना पट्ट (इस निदेशालय में पेंशन अदालत वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी)।
7. फाईल संख्या 18-ए-11 (आर)।